उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-68/2018/2823/92-1-2018-135(अधि0)/2016
लखनऊ : दिनांक: 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री आफताब अहमद खां, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद के पत्र दिनांक 24-07-2018 द्वारा दी गयी नोटिस तथा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-जी-934/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/2018-19, दिनांक 10-09-2018 द्वारा प्रेषित आख्या एवं की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 मूल नियमावली-1942 के नियम-56 के खण्ड-(ग) से (ड.) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियम-56 खण्ड-(घ) के द्वितीय परन्तुक से आच्छादित होने के आलोक में श्री राज्यपाल श्री आफताब अहमद खां, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 24-07-2018 को अस्वीकार करते हुए उन्हें दिनांक 31-10-2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-68/2018/2823(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
8- श्री आफताब अहमद खां, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in